श्रीमान न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (केम्प-उज्जैन) म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2013 निगरानी -R-1565-I/13

शंकरलाल पिता देवीसिंह पंवार, निवासी- ग्राम इचिवाड़ा, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर म.प्र. .... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

जुझारसिंह पिता अर्जुनसिंह पंवार, निवासी- ग्राम गुडलाय, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर म.प्र .... विपक्षीगण

न्यायालय अपर ~~श्रीमान~~ कलेक्टर महोदय, जिला- शाजापुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/ निगरानी/ 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2013 से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. सादर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नानुसार निगरानी सादर प्रस्तुत है :-

<u>प्रकरण का संक्षिप्त विवरण</u>

यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, विपक्षी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 12.04.2007 को एक आवेदन पत्र पेश किया कि ग्राम इचिवाड़ा मे उसके स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 110 रकबा 0.36 हेक्टर, भूमि सर्वे क्रमांक 111 रकबा 0.35 हेक्टर का सीमांकन करवाए जाने का का निवेदन किया। तहसीलदार तहसील गुलाना द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत-1 गुलाना के नाम सीमांकन करने का आदेश जारी कर रिपोर्ट पंचनामा, फिल्ड बुक, हक रसीद 15 दिन मे पेश करने का आदेश किया गया था। उक्त आदेश के पालन मे सीमांकन नहीं किए जाने पर दिनांक 09.06.2008 को राजस्व निरीक्षक वतृ-1 गुलाना के नाम से पुनः सीमांकन हेतु पत्र जारी किया गया

निरंतर 2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1565-एक/13 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जे.एस. जाधव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन, संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	